

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 105/2011

- | | |
|--|--|
| 1. पतराम पुत्र श्री सहीराम | जाति कुम्हार साकिन गोलुवाला
निवादान तहसील पीलीबंगा। |
| 2. श्रृंगारी देवी पत्नी श्री रामप्रताप | |
| 3. सुनील कुमार पुत्र रामप्रताप | |

—वादीगण

—बनाम—

- माया देवी पत्नी श्री गंगाजल जाति कुम्हार साकिन गोलुवाला सिहागान
- पुष्पा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार
- अमीलाल पुत्र श्री सन्तराम
- सुशील कुमार पुत्र श्री रामप्रताप
- सुनीता पुत्रीयां श्री रामप्रताप
- सन्तोष
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

दिनांक :- 30.09.2024

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक, प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा, अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री की जाती है:-

नाम वादी/प्रतिवादी	प्राप्त रकबा
(1) माया देवी पत्नी गंगाजल	चक 27 जेआरके प.न. 14/249 मु.न. 25 किला न 9/.126, 12, 19, 22 की .759 कुल .885 हैक्ट.।
(2) पुष्पा देवी पत्नी राजेन्द्रकुमार	चक 27 जेआरके प.न. 14/249 मु.न. 25 किला न 13, 18, 23 की .759 कुल .759 हैक्ट.
(3) अमीलाल पुत्र सन्तराम	चक 27 जेआरके प.न. 14/249 मु.न. 25 किला न 1, 2, 10, 11, 20, 21 की 1.518, 9/.127 कुल 1.645 हैक्ट.
(4) पतराम पुत्र सहीराम	चक 27 जेआरके प.न. 14/249 मु.न. 25 किला नं. 3, 8 की .506, 7/.126, 14, 17, 24 की .759 व प.न. 14/250 मु.न. 36 किला न. 5/.253 कुल 1.644 हैक्ट.
(5) श्रृंगारी देवी पत्नी रामप्रताप सुशील पुत्र रामप्रताप	चक 27 जेआरके प.न. 14/249 मु.न. 25 किला नं. 4, 5, 6, 15, 16, 25 की 1.518, 7/.127 कुल 1.645 हैक्ट.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30.09.2024 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा